फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 122 प्रभात जयपुर, शनिवार 3 दिसम्बर , 2022 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Silk Road Carved Out By Nomads! The Silk Road has intrigued modern historians & archaeologists as the most complex ancient overland trade system.

Belgium's Golden Generation...

From the Agony of Doha to Ecstasy in Qatar Usher in a new era for Asian football

2-आज के जाएंट पांडा के करीबी रिश्तेदार किसी समय बुल्गैरिया में विचरण करते थे। सत्तर के दशक में नॉर्थ वैस्टर्न बुल्गैरिया की कोयला खदानों में दो दांतों के जीवाश्म मिले थे। इन जीवाश्मों को बुल्गैरियन नैशनल म्यूज़ियम ऑफ नैचुरल हिस्ट्री में लाया गया। म्यूज़ियम के तत्कालीन पेलिऑन्टॉलजिस्ट ईवान निकोलोव ने दांतों को कैटलॉग में दर्ज किया और एक हस्तलिखित लेबल पर ''गुरेजिआ'' लिखकर जीवाश्मों को संग्रह में रख दिया। अब कई दशकों बाद वैज्ञानिकों ने इन भूले बिसरे दांतों का रहस्य सुलझा लिया है। ये दांत हाल ही में खोजी गई पांडा की एक नई प्रजाति के हैं, जो 60 लाख साल पहले मायोसीन एपक (मध्यनूतन युग) के दौरान बुल्गैरिया के जंगलों में विचरण करती थी। शोधकर्ताओं ने इस अंतिम ज्ञात यूरोपियन जाएंट पांडा का नाम दांतों के जीवाश्म को कैटलॉग में दर्ज करने वाले विशेषज्ञ के नाम पर ''एग्रीआर्कटोस निकोलोवी'' रखा है। यह जानकारी वर्टिब्रेट पेलिऑन्टॉलजी जर्नल में छपे शोध में दी गई है। म्यूज़ियम के मौजूदा पेलिऑन्टॉलजिस्ट, निकोलाई स्पासोव को म्यूज़ियम के आर्काइव में दांतों के जीवाश्म मिले, लेकिन पुराने हस्तलिखित लेबल से उन्हें कुछ समझ नहीं आया। लेबल पर लिखे गुरेजिया शब्द की असलियत जानने में ही उन्हें कई साल लग गए। उन्होंने कहा कि, गुरेजिया शब्द नॉर्थ वैस्टर्न बुल्गैरिया की पहाड़ियों में बसे एक गांव का पुराना नाम है। निकोलाई के अनुसार, यह जानने में भी कई साल लग गए कि, यह दांत जाएंट पांडा का जीवाश्म है। दांत का बारीकी से अध्ययन करने और उसकी तुलना दूसरे भालुओं के दांतों से करने पर पता लगा कि, उन्हें एक नई प्रजाति मिल गई है। स्पासोव के अनुसार, एग्रीआर्कटोस निकोलोवी मौजूदा जाएंट पांडा का निकट संबंधी हो सकता है पर उनका पूर्वज नहीं है और आकार में यह लगभग आज के जाएंट पांडा जैसा या कुछ छोटा हो सकता है। उस काल की कलाकृतियों से संकेत मिलता है कि, यह शाकाहारी था पर बांस नहीं खाता था क्योंकि इसके दांत इतने मजबूत नहीं थे कि बांस को चबा सके। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि, यह नर्म वनस्पतियां खाता था। ए. निकोलोवी संभवतया ''मैसीनियन सलिनेटी क्राइसिस'' की वजह से लुप्त हो गया था। साठ लाख साल पहले यह रहस्यमय घटना घटी थी, जिसमें भूमध्यसागर सूखना शुरु हो गया था। जिसकी वजह से इन विशिष्ट पाण्डा ने अपने नमी वाले जंगल खो दिए, जो उनके भोजन का मुख्य स्रोत थे।

राजस्थान के प्रभारी माकन, भारत जोड़ो यात्रा की अगवानी करने झालावाड़ नहीं पहुंचेंगे

वे इस बात पर अडिग लगते हैं कि, राजस्थान में पैर नहीं रखेंगे, जब तक कि, उन्होंने जो मुद्दे अपनी रिपोर्ट में उठाये हैं, उनको हाई कमान संबोधित नहीं करता

- **सबसे बड़ा मुद्दा, जो उन्होंने रिपोर्ट में उठाया है, वह मु.मंत्री गहलोत के निकट के नेता शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेन्द्र राठौड़ के खिलाफ अनुशासनहीनता का है।**
- **अभी तक माकन के अनुसार, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, इन तीनों के खिलाफ, यहां तक कि, एक चेतावनी भी नहीं दी गयी है।**
- **जानकार सूत्रों का कहना है, जब तक गुजरात चुनाव के नतीजे आठ दिसम्बर को नहीं आ जाते, इस दिशा में कोई कार्यवाही होने की संभावना नहीं है।**
- **साथ ही चेतावनी दी गयी है कि, जब तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है, कोई भी नेता कोई बयानबाजी नहीं करेगा, न ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होगी तथा दोनों खेमों में कोई भी परस्पर विरोधी चहल-कदमी नहीं दिखनी चाहिये।**
- **पर, यात्रा के राजस्थान से निकलने के बाद क्या होगा, कोई आकलन लगाने को तैयार नहीं।**

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच कथित सद्भावना के प्रदर्शन के रूप में दोनों का एक साथ हाथ उठाना निश्चित रूप से समस्याओं का अंत नहीं है, खासकर राजस्थान में बिल्कुल नहीं।

कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि ए.आई.सी.सी. महासचिव और राजस्थान के प्रभारी भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश के समय झालावाड़ में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए मौजूद नहीं होंगे।

यह एक कठिन स्थिति है क्योंकि माकन ने कथित तौर पर नेतृत्व से कह दिया है कि, वे राजस्थान जाना नहीं चाहते, क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे वे अभी तक हल नहीं हुए हैं।

इन मुद्दों में सबसे प्रमुख है गहलोत के उन तीन करीबी नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं होना, जिन पर माकन ने सोनिया गांधी को भेजी अपनी रिपोर्ट में एक्शन लेने की अनुशंसा की थी।

ये तीनों नेता हैं शांति धारीवाल, धर्मेन्द्र राठौड़ और महेश जोशी उन पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है और चेतावनी तक नहीं दी गई है।

सूत्रों का कहना है कि जब तक गुजरात चुनाव नहीं हो जाते और उनके नतीजे आ जाते तब तक कोई कार्यवाही होन की संभावना नहीं है। गुजरात में 5 दिसंबर को मतदान समाप्त हो जाएगा और 8 दिसम्बर को नतीजे आ जाएंगे।

भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 4 दिसम्बर को आएगी और यह साफ कर दिया गया है कि विभिन्न गुटों के नेताओं में कोई बयानबाजी नहीं होगी ना ही एक दूसरे को नीचा दिखाने पर वैमनस्यता भरी हरकत होगी।

इन हालात में में समूचे संकट को यात्रा के राजस्थान से बाहर जाने तक रोक दिया गया है। इसके बाद क्या होगा यह संकट ग्रस्त राजस्थान का एक अलग अध्याय होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव पर रोक लगाने से इंकार किया

तर्क यह है कि, तीन दिन बाद ही मतदान हैं, अतः अब चुनाव पर रोक लगाना न्याय संगत नहीं

- **चुनाव पर रोक लगाने के लिये दायर याचिका में दलील दी गयी थी कि, चुनाव में एस.सी. के लिए आरक्षित वार्डों का चयन कानून संगत नहीं है तथा सही प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका निरर्थक बताकर खारिज कर दी। यहां रविवार को मतदान है।

याचिकाकर्ता जो नैशनल यूथ पार्टी नेता और वैलफेयर एसोसिएशन का निवासी है, ने दिल्ली हाईकोर्ट के चुनाव पर रोक लगाने से इन्कार करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून के अनुसार जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो कोर्ट उस पर रोक नहीं लगा सकता है।

यह मामला जस्टिस कौल और जस्टिस ए.एस. ओका की बैंच के समक्ष अधिसूचित था। बैंच ने कहा समय गुजरने से याचिका व्यर्थ हो गई है क्योंकि चुनाव तीन दिन बाद ही रविवार को होने वाले हैं।

गुप्ता ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि अनुसूचित जाति के लिए राज्य चुनाव आयोग ने म्युनिसिपल वार्डों का मनमाने तरीके से आरक्षण किया है। उन्होंने दावा किया कि वार्डो के आरक्षण पर एस.ई.सी. के आदेश में कानूनी त्रुटियां हैं जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टी का उद्देश्य ही विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रावधान अनुसूचित जाति को अलग-अलग वॉर्ड से रोटेशन के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। गुप्ता की याचिका कहती है कि वर्ष 2017 और 2022 में वार्डों के परिसीमन का आधार वर्ष 2011 की जनगणना थी और वार्डों के आरक्षण का फार्मूला, जो 2017 व 2022 में है वह भी उसी पर आधारित है और वर्ष 2022 में फार्मूला में रोटेशन का आधार नहीं है। दिल्ली नगर निगम में वार्डों की संख्या दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के जरिए 272 से घटाकर 250 कर दी गई है। एक्ट में तीन अलग-अलग निगमों पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पश्चिमी दिल्ली नगर निगमों का एकीकरण कर दिया गया है।

परिसीमन समिति ने सारी कवायद पूरी कर सरकार को 25 अगस्त को रिपोर्ट भेज दी थी तथा 10 सितम्बर को केन्द्र ने सीटों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी इनमें से 42 अनुसूचित जाति की सीटे थी। इस पर आपतियां सुझाव की आखिरी तारीख 3 अक्टूबर थी तथा 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी गई। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों का चुनाव 4 दिसम्बर को होगा नतीजे 7 को घोषित होंगे।

कैप्टन अमरिन्दर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में

- **भाजपा ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह के साथ कांग्रेस में आए सुनील जाखड़ को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह (80) और पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ (68) को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में शुक्रवार को नियुक्त किया।

अन्य संगठनात्मक बदलाव जो तुरन्त प्रभाव से लागू हो जाएंगे, के तहत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''हार्ट ऑफ लंदन'' में विशाल चाइनीज़ दूतावास का निर्माण खटाई में पड़ा?

निर्माण स्थल, ''टावर ऑफ लन्दन'', जिसे देखने लाखों पर्यटक आते हैं, से सटी हुई उन्नीसवीं शताब्दी में निर्मित भव्य इमारत रॉयल मिन्ट है

- **रॉयल मिन्ट के 5.5 एकड़ परिसर में कई क्वाट्र्स भी हैं, जहां दशकों से कई परिवार रह रहे हैं।**
- **इन परिवारों को रहने के लिये ''लीज़'' महारानी एलिजाबैथ ने दी थी तथा निवासियों की शिकायत है कि, विशाल चीनी दूतावास बनने से, उनकी ''प्राइवेसी'' खत्म होगी तथा कम्प्यूटर व मोबाइल फोन्स भी चीन के दूतावास की ''सर्विलैन्स'' में जायेंगे।**
- **दूतावास के विशाल कॉम्पलैक्स के अलावा चीन इस भूमि पर 500 रिहायशी फ्लैट्स भी बनाना चाहता है, अपने स्टाफ, सुरक्षा कर्मी आदि के लिये।**

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। ब्रिटेन की राजधानी में शहर के मुख्य स्थल पर एक विशालकाय दूतावास निर्मित करने के चीन के प्रस्ताव को लेकर नाराज़गी बढ़ रही है। प्रस्ताव के तहत, प्रसिद्ध टावर ऑफ लंदन के ठीक सामने स्थित पूर्व रॉयल मिंट (राजसी टकसाल) के क्षेत्र का पुनर्विकास करना भी शामिल होता। करीब 5.5 एकड़ जमीन पर फैला रॉयल मिंट परिसर मुख्यतः राजा की सम्पत्ति है।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में निर्मित इस विशालकाय परिसर में प्रसिद्ध मिंट बिल्डिंग के अलावा कुछ आवासीय क्वार्टर भी है जिनमें आवश्यक सेवाओं से जुड़े सदस्य जैसे नर्सेज़, इंजीनियर्स और मैडिकल वर्कर्स रहते हैं।

बरो ऑफ टावर हैमलैट्स के नाम से जाने जाना वाला यह क्षेत्र देश के लंदन शहर से सटा हुआ है। इसके अलावा टावर ऑफ लदंन को देखने अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में यदि विशाल दूतावास बनाया जाता है तो ट्रैफिक एक समस्या बन सकता है।

चीन सरकार अपने छद्म ऑपरेशन्स को लेकर पहले ही विवादों में घिरी हुई है। ज्ञात हुआ है कि चीन के सरकारी संस्थान निगरानी के लिए दुनिया भर में पुलिस स्टेशनों का संचालन करते हैं और विदेशों में बसे चीन के आलोचकों को धमकाते हैं। गुप्तचरी करने वाले ये पुलिस स्टेशन्स विदेशों में रह रहे चीन के लोगों पर निगरानी रखते हैं, उन्हें धमकाते हैं और उन्हें पुनः स्वदेश भेजते हैं।

एक के बाद एक देश में अब इन अवैध पुलिस स्टेशनों का पता लगता जा रहा है।

यहां तक कि इन देशों ने चीन के कूटनीतिक प्रमुखों को तलब कर अपनी ग़लती स्वीकार करने को कहा है। इन्हें बंद करने के आदेश भी दिए जा रहे हैं।

टावर हैमलैट के किराएदारों ने भूमि का अधिग्रहण कर उसे चीन को सौंपे जाने की योजनाओं को रद्द करने को लेकर नए किंग चार्ल्स को पहले एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा की तैयारी शुरू

- **गुजरात के दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों व राज्य विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विचार किया गया।**

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। भाजपा हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में नहीं है, इसलिए उसने अपने अगले चुनावी लक्ष्य पर काम शुरु कर दिया है। गुजरात में जिस दिन दूसरे चरण के मतदान होंगे उसी दिन, सोमवार को, भाजपा ने दिल्ली में संगठन के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग बुलाई है। अजेन्डा हैः अगले वर्ष कर्नाटक, त्रिपुरा व उत्तरपूर्व के कुछ अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके बारे में विचार-विमर्श करना तथा रणनीति बनाना। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनावों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कृपया सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत ''कोलीजियम सिस्टम'' को पटरी से उतारने का प्रयास न करें'

2018 की कोलीजियम की विवादास्पद बैठक की जानकारी मांगने के लिये दायर याचिका की सुनवायी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की

- **याचिका के पक्ष में बोलते हुए प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि, क्या कोलीजियम की कार्यवाही व निर्णय आर.टी.आई. के दायरे में नहीं आते।**
- **प्रशांत भूषण चाहते थे कि, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व सरकार के बीच इस मुद्दे पर चली पत्रावली को सार्वजनिक किया जाये।**
- **यहां यह उल्लेखनीय है कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस अपील को हाल ही में खारिज किया था, जिसमें कोलीजियम बैठक के एजेण्डा, मिनिट्स तथा प्रस्तावों की जानकारी मांगी गयी थी।**
- **पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि, दिसम्बर 2018 की बैठक में कोलीजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तथा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की थी। पर निर्णय को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि नियुक्ति की खबर नियुक्ति के पहले ही लीक हो गयी थी।**
- **इस पूरी बहस के बाद, सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच ने कोलीजियम संबंधी मुद्दे पर निर्णय सुरक्षित रख दिया**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता एवं वकील अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर एक केस पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की वर्ष 2018 में आयोजित विवादास्पद मीटिंग की डीटेल्स मांगी गई थी।

जस्टिस एस.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बैंच ने वर्तमान क्रियाशील सिस्टम को समाप्त ना करने पर जोर देते हुए कहा कि यह सिस्टम ''सर्वाधिक पारदर्शी'' है। बैंच ने कहा कि कोलीजियम के पूर्व सदस्यों द्वारा इसके निर्णयों पर टिप्पणी किए जाने का एक चलन बन गया है।

बैंच भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन (आर.टी.आई.) एक्ट के तहत कोलीजियम की डिटेल्स देने का अनुरोध किया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रश्न किया कि ''क्या कोलीजियम के निर्णयों की आर.टी.आई. के तहत जवाबदेही है। प्रश्न यही है। क्या इस देश के लोगों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है?''

उन्होंने इच्छा जताई कि चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) और सरकार के बीच हुए सभी पत्राचारों को सार्वजनिक किया जाए।

जस्टिस शाह ने कहा कि ''कोलीजियम की मीटिंग में कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया था। पूर्व सदस्यों द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते।''

निर्णय को सुरक्षित रखते वक्त जज ने कहा कि ''हम इससे मुकर नहीं रहे हैं। कई मौखिक निर्णय लिए जाते हैं।''

दिल्ली हाई कोर्ट ने गत जुलाई माह में एक अपील को खारिज कर दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की 12 दिसम्बर 2018 की मीटिंग का एजेण्डा, मिनट्स और प्रस्ताव सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। इससे पहले यह अनुरोध सैन्ट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (सी.आई.सी.) सहित कई स्तरों पर ठुकराया जा चुका था। अंजलि भारद्वाज ने अपनी याचिका में पूर्व सी.जे.आई.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)